न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : श्री हरिताभ कुमार आदित्य RAS
मुकदमा नं0 : 136/17
प्रकरण दर्ज दिनांक : 11.09.2017
प्रकरण निस्तारण दिनांक : 17.01.2020

क्षेत्रीय वनाधिकारी सिकराय जरिये केदार लाल गर्ग (रेंजर) तहसील सिकराय जिला दौसा

– वादी

–:बनाम:–

राजस्थान सरकार जरिये

1. भू–प्रबंधक अधिकारी अलवर
2. तहसीलदार सिकराय

– प्रतिवादी

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज किस्म परिवर्तन व तरमीम नक्शा

निर्णय

दिनांक : 17.01.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। दावे के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम वनखण्ड मेंहदीपुर डूंगरी मोजा मीना सीमला गजट नोटिफिकेशन कमांक/एफ(2)(15) राज. 8/81 दिनांक 07.12.1989 से विज्ञप्ति जारी कर राजस्थान सरकार के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 18.02. 1994 को आरक्षित वन के रूप में किया गया है। मीना सीमला के पूर्व ख0नं0 238/239 हाल नम्बर 421 से 429 व 430 परिवर्तन द्वारा सेटलमेंट के रिकॉर्ड है। विज्ञप्ति के अनुसार 180 बीघा 16 बिस्वा वन भूमि है। जब जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार 175 बीघा 17 बिस्वा ही है।

राजस्व विभाग द्वारा आराजी खसरा नं0 238 की वन भूमि के बंटे नम्बर कर कमशः 252/238 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा ब्रजमोहन पुत्र श्रीराम मीना, आराजी खसरा नं0 252/238 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी, आराजी ख0नं0 254/238 रकबा 14 बिस्वा नथोली पुत्र रामहेत मीना कुल 14 बीघा 4 बिस्वा भूमि आवंटन कर उप जिलाधीश दौसा के आदेश कमांक 390/4–4–86 के अनुसार वन सीमा के अन्दर तरमीम कर दी गई। परन्तु राजस्व नक्शे में वन भूमि की तरमीम कर दी गई। परन्तु राजस्व नक्शें में वनभूमि की तरमीम नही की गई तथा आराजी ख0नं0 239 के कुल रकबा 108 बीघा 8 बिस्वा में राजस्व विभाग के नक्शें में वन सीमा में अन्दर 1 बीघा 10 बिस्वा आबादी के रूप में ख0नं0 240 दर्शाया गया है इस प्रकार 4 बीघा 19 बिस्वा वन भूमि को आवंटन कर आबादी के रूप में वन सीमा में नक्शें में तरमीम कर दी गई है। प्रतिवादीगण ने कानून अवहेलना करते हुये नक्शें में मुताबिक वन बंदोबस्त के नक्शें तरमीम नही कर गलत तरीके से अवैध कब्जाधारियों को लाभ पहुंचाते हुये वन भूमि की किस्म परिवर्तन कर गै0मु0 सड़क अंकन कर दी व जमाबंदी में इसी तरह का अंकन कर दिया जो कि कानूनन गलत व विपरी होने से काबिलेदुरूस्त व परिवर्तनीय है।

इसी प्रकार दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की तलवी की गई। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये लेकिन जवाब पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद कर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्यवादी पी. डब्लू 1 केदार लाल गर्ग क्षेत्रीय वनाधिकारी सिकराय, पीडब्लू 2 रामजीलाल गुर्जर वनपाल द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। वकील वादी और साक्ष्य पेश नही करने के कारण पत्रावली साक्ष्यवादी बंद कर बहस में नियत की गई।

वकीलवादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस का मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पूर्व व वर्तमान नक्शा, पूर्व व वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड, वनविभाग गजट नोटिफिकेशन मिलान क्षेत्रफल आदि से वादी वाद सिद्ध है। विवादित भूमि वन विभाग की भूमि है जिसकी पूर्व नक्शा के अनुसार वर्तमान नक्शा होना चाहिये था जबकि अवैधानिक रूप से वन विभाग की उक्त भूमि का वर्तमान नक्शा छोटा कर दिया व किस्म भी गलत रूप से गैर मुमकिन सड़क दर्ज कर दी ऐसी स्थिति में गलत रूप से वर्तमान तरमीम की गई है। एवं वनभूमि में किस्म परिवर्तन गै0मु0 सड़क गलत रूप से दर्ज की है।

अतः दावा वादी स्वीकार कर डिकी किया जाता है वन भूमि के ख0नं0 421 से 429, 429/459 व 430 ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय (जिसके पूर्व साबिक ख0नं0 238/239 है।) की वर्तमान नक्शा सीट में दुरुस्त कर पूर्व नक्शा सीट के अनुसार वर्तमान नक्शा शीट में तरमीम करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते है। तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा शीट में गलत रूप से दर्ज किस्म गै0मु0 सड़क को हजब कर किस्म वनभूमि दर्ज करने के आदेश तहसीलदार को दिये जाते है। तहसीलदार सिकराय को तहरीर जारी हो तदनानुसार डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आदिनांक 17.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

17/1/2020
(हरिताभ कुमार आदित्य)
उपखण्ड अधिकारी सिकराय
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला–दौसा

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर 3 फोन : 312402

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सिकराय

व इजलास श्री हरिताभ कुमार आदित्य (R.A.S)

क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय जरिये कैलाश चन्द गर्ग (रेंजर) तह. सिकराय दौसा बनाम राज्य सरकार जरिये 1. भू प्रबन्धक अधिकारी दौसा 2. तहसीलदार सिकराय

दावा बावत दुरस्ती इन्द्राज किस्म परिवर्तन व तरमीम नक्शा मुकदमा नं. 136 सन् 17

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू सुरेश बोहरा एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू

व हाजिरी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः दावा वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाता है व भूमि के ख.नं. 421 से 429, 429/459 व 430 ग्राम मीना खोहला तह. सिकराय (जिसके पूर्व खसरा नं. 238/239 है) की वर्तमान नक्शा ट्रेस के दुरस्त कर पूर्व नक्शा ट्रेस के अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते हैं तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा में गलत रूप से दर्ज किस्म गै.मु. ... को खारिज कर किस्म वन भूमि दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

इस मुकद्दमे में ... सूद बशरह ... फीसदी ...ना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक .... का अदा करे।

बसब्त मेरे दरस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 01 सन् 2020 को

जारी की गई।

मुहर

दस्तखत 17/1/2020
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा

मुदई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प ...ह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Scanned by CamScanner